झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
संकल्प

संख्या– 18/विविध– 09/2025 –2460/ दिनांक–05/06/2026

विषयः– स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों जैसे– अफीम, मोर्फीन, हेरोईन, कोकिन, ब्राउन सुगर, गांजा, कोडिन आदि का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य से समाज में इन हानिकारक पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि समाज, राज्य व देश के अर्थव्यवस्था, विकास तथा सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आज की युवा पीढ़ी जो देश एवं राज्य के भविष्य हैं, इन पदार्थों के दुरूपयोग की चपेट में आकर ना सिर्फ अपने भविष्य का बल्कि समाज, राज्य एवं देश के भविष्य को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह ऐसी समस्या है जिसको नहीं रोका गया तो भविष्य में प्रत्येक परिवार इससे प्रभावित हो सकता है।

इस प्रकार के पदार्थों के समाज में मांग को कम करने के उद्देश्य से दुरूपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाता है वहीं आपूर्ति को रोकने हेतु स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं अन्य संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानानुसार पुलिस कार्रवाई किया जाता है।

निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा ऐसे कृत्यों के संदर्भ में सूचना देने के लिए लोगों/मुखबिरों के लिए मौद्रिक पुरस्कार का प्रावधान करने से वे इस कार्य के प्रति प्रोत्साहित होंगे तथा निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य को रोकने की दिशा में प्रभावी सफलता प्राप्त हो सकती है।

अतः स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं अन्य संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए सरकारी सेवकों को प्रोत्साहित करने तथा निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने वाले सूचनादाता/मुखबिर को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करने हेतु निम्नानुसार नीति गठित किया जाता है–

1. संक्षिप्त शीर्षक– इस नीति को "स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु झारखण्ड सरकार की नीति 2026" कहा जायेगा।

2. विस्तार, प्रारंभ एवं अनुमान्यता/उपयोगिता– यह नीति स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act 1985) तथा अन्य संगत अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों के तहत की गई जप्ती/प्रभावी कार्रवाई/कार्रवाई के लिए दी गई सटीक जानकारी के लिए सरकारी सेवकों तथा मुखबिर/सूचनादाता को पुरस्कार राशि प्रदान करने हेतु लागू होगी।

i. इस नीति के तहत निम्न मामलों में पुरस्कार राशि संबंधित सरकारी सेवक/सेवकों अथवा मुखबिर/सूचनादाता को प्रदान किया जायेगा–

(क) मुखबिर/सूचनादाता जिनकी सूचना से स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ की जप्ती करने में राज्य सरकार के किसी Drug Law Enforcement Agency को सहायता प्राप्त हुई हो।

(ख) NDPS Act, 1985 के प्रावधानों के तहत सक्षम, राज्य सरकार (झारखण्ड सरकार) के सरकारी सेवक जिनके द्वारा स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ की जप्ती की गई हो तथा जप्ती के बाद सही प्रकार से निस्तारण किया गया हो एवं सही प्रकार से अनुसंधान पूर्ण किया गया हो।

(ग) राज्य सरकार (अन्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश सहित) अथवा केन्द्र सरकार के सेवक अथवा लोक उपक्रम के कर्मी अथवा स्थानीय प्राधिकार या कोई प्राधिकरण के कर्मी जो NDPS Act, 1985 तथा इसके तहत निर्गत नियमों, आदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने में सहायता किये हों।

ii. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

iii. इस विषय पर पूर्व में जारी नीति (यदि कोई हो) निरस्त समझी जायेगी।

3. पुरस्कार प्रदान करने के सिद्धांतः–

i. पुरस्कार पूर्णतः अनुदान है, जो प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस दिशा–निर्देशों के अधीन पुरस्कार प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा सरकारी सेवक द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

ii. नियमित एवं सामान्य प्रकृति के कार्य के लिए पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

iii. विभिन्न मामलों में पुरस्कार राशि निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकार/अनुशंसा करने वाले प्राधिकार द्वारा निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा–

(a) सूचनादाता/मुखबिर के मामलों में–

(क) उपलब्ध कराई गई सूचना की विशिष्टता और सटीकता।

(ख) सूचना संग्रह/प्रदान करने में सूचनादाता द्वारा उठाये गये जोखिम, खतरा व परेशानी।

(ग) सूचनादाता/मुखबिर द्वारा दी गई सहायता तथा सहायता की प्रकृति।

(घ) क्या सूचना से स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्री पदार्थ के तस्करों/ सरगना के बारे में सुराग मिलता है।

(पुरस्कार के लिए अनुशंसा के साथ मुखबिर/सूचनादाता से प्राप्त सूचना/जानकारी का सार संलग्न किया जायेगा)

(b) सरकारी सेवकों अथवा लोक उपक्रम के कर्मी अथवा स्थानीय प्राधिकार या कोई प्राधिकरण के कर्मी द्वारा की गई कार्रवाई/जप्ती/सूचना देने आदि के मामले में–

(क) मादक पदार्थों की सफलता पूर्वक जप्ती, गहन अनुसंधान तथा NDPS Act, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को स्थापित करने से संबंधित प्रमाण संकलित करने में सरकारी सेवक द्वारा किया गया विशेष प्रयास।

(ख) दी गई सूचना की विशिष्टता और सटीकता।

(ग) मामले में कार्य करने/सूचना संग्रह करने/सूचना देने में संभावित जोखिम।

(घ) मादक पदार्थों की जप्ती के लिए सरकारी सेवकों द्वारा उठाये गये विशेष पहल, किये गये विशेष प्रयास तथा किये गये कौशल एवं चातुर्य का प्रदर्शन।

(ड.) निषिद्ध मादक पदार्थों के तस्करों/वित्तपोषकों/संरक्षकों/सरगना/माफिया तथा वाहकों की गिरफ्तारी।

(च) प्राप्त सूचना/शिकायत के आलोक में कितनी तीव्र गति से कार्रवाई की गई।

iv. **पुरस्कार का हस्तांतरण और भुगतानः–** मुखबिर/सूचनादाता/सरकारी सेवक द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य को पुरस्कार भुगतान करने के अनुरोध/समानुदेशन मान्य नहीं होगा। मुखबिर/सूचनादाता/सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में अनुमान्य पुरस्कार की राशि संबंधित के कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जायेगा।

v. **कुछ मामलों में सरकारी सेवकों को पुरस्कार देने पर रोकः–** अपने सामान्य कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्राप्त जानकारी या साक्ष्य की सूचना देने के लिए किसी सरकारी सेवक अथवा लोक उपक्रम के कर्मी अथवा स्थानीय प्राधिकार या कोई प्राधिकरण के कर्मी को पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

4. पुरस्कार हेतु पात्र सरकारी सेवक तथा पुरस्कार की मात्राः–

i. वेतन मैट्रिक्स–13 तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक इस नीति के तहत पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। लोक उपक्रम के कर्मी अथवा सरकार द्वारा स्थापित अथवा सरकार संपोषित स्थानीय प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकरण के निदेशक/प्रबंध निदेशक स्तर से न्यून किसी भी वेतन स्तर के कर्मी इस नीति के तहत पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

ii. वेतन मैट्रिक्स 12 एवं 13 वाले सरकारी सेवक, प्रत्येक मामले में 50,000/– रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन, पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। पुरस्कार की राशि, ड्रग्स की जप्ती, मामले के अनुसंधान आदि से संबंधित सार्थक आसूचना संग्रहण, निगरानी आदि के लिए व्यक्तिगत अथवा टीम के रूप में योगदान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जायेगा।

iii. किसी भी सरकारी सेवक के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान स्वीकृत कुल पुरस्कार 20 (बीस) लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी सेवक अपने सेवाकाल के दौरान कुल पुरस्कार की 20 लाख रूपये की सीमा को पार न करे, सभी स्वीकृत पुरस्कार सरकारी सेवक (अराजपत्रित) को भुगतान से पहले उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जायेगी। राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में पुरस्कार भुगतान से पूर्व कैडर नियंत्री विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कैडर नियंत्री विभाग द्वारा पुरस्कार भुगतान की अनुमति प्रदान करने का रिकार्ड एक विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

v. किसी एक मामले में किसी एक सरकारी सेवक के लिए पुरस्कार राशि 2.00 (दो) लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपवादिक मामलों में 2.00 (दो) लाख रुपये से अधिक का पुरस्कार स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया जा सकता है।

vi. अफीम, मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और सिंथेटिक दवाओं आदि की जप्ती के मामले में, न्यूनतम तथा अधिकतम पुरस्कार राशि का निर्धारण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो/केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो/राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा संबंधित पदार्थों के लिए निर्धारित अवैध मूल्य के अनुसार **परिशिष्ट–I और II** में दर्शाए गए राशि तक सीमित होगा। इस अधिकतम पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत सरकारी सेवक को तथा 50 प्रतिशत सूचनादाता/मुखबिर को भुगतान किया जायेगा। मुखबिर की अनुपस्थिति में सरकारी सेवक/सेवकों को 50 प्रतिशत राशि हीं भुगतान किया जायेगा। समय–समय पर संबंधित पदार्थों के दर में परिवर्तन के अनुसार अनुमान्य अधिकतम पुरस्कार राशि में भी तदनुसार परिवर्तन होगा तथा इस हेतु गृह विभाग द्वारा सूचना/आदेश जारी किया जायेगा।

इस सीमा से अधिक पुरस्कार राशि (निर्धारित अधिकतम पुरस्कार राशि से 50 प्रतिशत तक अधिक) प्रदान करने पर केवल उन मामलों में विचार किया जा सकता है, जहां सरकारी सेवक अथवा सूचनादाता अथवा मुखबिर ने खुद को किसी बड़े व्यक्तिगत खतरे में डाला हो या असाधारण प्रकृति की अनुकरणीय हिम्मत, सराहनीय पहल या कुशलता का प्रदर्शन किया हो या जहां जप्ती के मामले का पता लगाने के लिए उसके व्यक्तिगत प्रयास मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हों।

vii. सामान्यतः पुरस्कार योग्य कार्य में सरकारी सेवकों की एक टीम द्वारा कार्य किया जाता है। अतः केवल सरकारी सेवक विशेष को पुरस्कार केवल उन मामलों में दिया जाए जहाँ उस विशेष व्यक्ति द्वारा हीं कार्रवाई की गई हो। सरकारी सेवकों के टीम द्वारा कार्रवाई करने के मामले में अनुमान्य पुरस्कार राशि टीम में शामिल सभी सरकारी सेवकों में वितरित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में टीम के सदस्यों को प्राप्त होने वाले पुरस्कार राशि का निर्धारण उनके योगदान/ प्रयास, साहस, उठाये गये खतरा आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। टीम में शामिल /सहायता करने वाले संविदा कर्मी/अन्य प्रकार के कर्मी भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

5. अग्रिम/अंतरिम पुरस्कार का भुगतानः–

जप्त किये गये ड्रग्स का सकारात्मक (Positive) एफ०एस०एल० रिपोर्ट/रासायनिक रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद सरकारी सेवकों/सूचनादाता/मुखबिर को अनुमान्य कुल पुरस्कार का 50 प्रतिशत राशि अग्रिम/अंतरिम पुरस्कार के रूप में भुगतान किया जा सकता है।

6. अंतिम पुरस्कार की स्वीकृतिः–

i. ड्रग्स की जप्ती वाले मामले में सरकारी सेवकों के साथ–साथ मुखबिरों/सूचनादाताओं को एकमुश्त अंतिम पुरस्कार, नारकोट्रिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के उपबंध 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 एवं 18 का संबंधित सरकारी सेवक द्वारा अनुपालन तथा अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर करने के बाद स्वीकृत किया जायेगा।

ii. अवैध अफीम/गांजा आदि की फसलों को नष्ट करने के मामले में मुखबिर/सूचनादाता और सरकारी सेवक को अंतिम पुरस्कार, इस संदर्भ में कांड दर्ज करने तथा आरोप पत्र

समर्पित करने अथवा अदालत द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के पश्चात या जिला अधिकारी द्वारा अवैध फसल विनष्ट किये गये क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद एकमुश्त अंतिम पुरस्कार स्वीकृत किया जायेगा।

iii. स्वीकृत और वितरित अग्रिम/अंतरिम पुरस्कार, यदि कोई हो, को सरकारी सेवकों/मुखबिरों को दिए जाने वाले अंतिम पुरस्कार में समायोजित कर लिया जायेगा।

iv. सभी संबंधित एजेंसी/विभाग द्वारा पुरस्कार भुगतान/स्वीकृति से संबंधित मामलों के अनुश्रवण के लिए आवर्ती रूप से समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा। अनुश्रवण के क्रम में यह देखा जायेगा कि कौन–कौन से मामले पुरस्कार/भुगतान के लिए परिपक्व हो रहें हैं तथा परिपक्व मामलों में पुरस्कार स्वीकृति/भुगतान के लिए कार्रवाई प्रारंभ किया गया है अथवा नहीं।

v. प्रत्येक मामले में पुरस्कार की राशि का निर्धारण स्वीकृति प्राधिकार द्वारा विभिन्न परिस्थिति/कार्य में सम्मिलित खतरा, किये गये प्रयास, त्वरीत कार्रवाई आदि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में अधिकतम अनुमान्य पुरस्कार ही स्वीकृत किया जाए।

vi. प्राधिकार के समक्ष अपनी जानकारी नहीं छुपाने वाले सूचनादाता/मुखबिर सामान्यतः अधिक साहस का परिचय देते हैं तथा उन्हें खतरा भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। पुरस्कार राशि के निर्धारण में इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुए अपेक्षाकृत अधिक पुरस्कार स्वीकृत किया जा सकता है।

vii. प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सूचनादाता/मुखबिर भी अधिक साहसी होते हैं तथा उन्हें अधिक खतरा भी होता है। अतः इस प्रकार के मुखबिर/सूचनादाता को निर्धारित अनुमान्यता से अधिक पुरस्कार राशि स्वीकृत किये जाने पर विचार करना चाहिए।

7. पुरस्कार स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारः–

i. जब तक कि इस नीति में अन्यथा उपबंध न हो, इस नीति के तहत पुरस्कार स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार निम्नवत होंगे–

क्र०	प्रत्येक मामले में प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए पुरस्कार की राशि (रू० में)	प्रत्येक मामले में सूचना देने वालों /मुखबिर के लिए पुरस्कार की राशि (रू० में)	पुरस्कार स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
1	1,00,000.00 (एक लाख) तक	2,00,000.00 (दो लाख) तक	राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति
2.	1,00,000.00 से अधिक	2,00,000.00 से अधिक	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित "Guidelines for Grant of Reward to Informers and Government Servants, 2017" के तहत DG, NCB के अध्यक्षता में गठित Central Reward Committee

ii. उपकंडिका i के क्रमांक 2 के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (ANTF) द्वारा Central Reward Committee से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव Narcotics Control Bureau (NCB) को प्रेषित किया जायेग।

8. राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति :– इस नीति के निमित्त राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति की संरचना निम्नवत होगी–

1.	अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग (ANTF के प्रमुख)।	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस उप महानिरीक्षक, बजट।	–	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव/उप सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।	–	सदस्य
4.	उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय।	–	सदस्य

9. सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अंतिम पुरस्कार की समीक्षाः– आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अंतिम पुरस्कार की समीक्षा, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित "Guidelines for Grant of Reward to Informers and Government Servants, 2017" की कंडिका 9 में उल्लेखित प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

10. सूचनादाता/मुखबिर से स्वघोषणा प्राप्त करनाः–

i. जब कोई मुखबिर कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उससे यह वचन लिया जाना चाहिए कि वह जानता है कि पुरस्कार की सीमा उसके द्वारा दी गई सूचना की सटीकता पर निर्भर करती है और पुरस्कार/पुरस्कार की राशि के लिए अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जायेगा।

ii. यह निश्चित करना होगा कि मुखबिरों को भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा–217 एवं गलत सूचना देने से संबंधित अन्य उपबंधों की बारीकियाँ पढ़ा दी गई हैं या समझा दी गई हैं और वह जानता है कि यदि उसके द्वारा गलत नियत से/किसी को परेशान करने के प्रयोजन से झूठी/गलत सूचना दी जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई/मुकदमा किया जा सकता है।

iii. जप्ती, यदि कोई हो, आदि के विवरण के संबंध में उसे सूचित करने हेतु सरकार बाध्य नहीं है।

11. मुखबिर/सूचनादाता को पुरस्कार का भुगतान तथा पहचान की सुरक्षाः–

i. मुखबिर/सूचनादाता से प्राप्त सूचना तथा प्राप्त सूचना के संदर्भ में किये जाने वाले कार्रवाई के संदर्भ में संबंधित सरकारी सेवक/पदाधिकारी द्वारा कागज में या सूचना स्लीप में लिखा जायेगा तथा इसपर सूचनादाता/मुखबिर के बाँए हांथ के अंगुठे का निशान तथा विशेष प्रकार का हस्ताक्षर/Initial (जिसे देखने से नाम का पता न चले) प्राप्त किया जायेगा।

ii. मुखबिर/सूचनादाता यदि चाहे तो पुरस्कार की राशि भुगतान के लिए आसानी से अपनी पहचान के लिए दो पहचान चिन्ह, उँचाई, जन्मतिथि/आयु, बैंक खाता संख्या आदि के बारे में सूचना स्लीप/कागज पर जानकारी दे सकता है परंतु इसके लिए वह बाध्य नहीं है।

iii. डाक/दूरभाष या ई–मेल अथवा Web portal के माध्यम से सूचना देने की स्थिति में सूचनादाता द्वारा पुरस्कार की राशि के भुगतान के लिए अपनी पहचान के संदर्भ में

पहचान चिन्ह, उँचाई, जन्मतिथि/आयु आदि की जानकारी दिया जा सकता है परंतु ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं होगी।

iv. ई–मेल /डाक अथवा Web portal के माध्यम से सूचना देने की स्थिति में पुरस्कार राशि के लिए सूचनादाता द्वारा अपने बांए हांथ के अंगुठे का निशान तथा विशेष प्रकार का हस्ताक्षर/Initial (जिसे देखने से नाम का पता न चले) सूचना के साथ प्रेषित/upload किया जायेगा।

v. दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सूचना के साथ एक 6 Digit का एक कोड (संख्या अथवा Alphabet अथवा इन दोनों का सम्मिलन होगा) तथा दो पहचान चिन्ह भी सूचनादाता द्वारा दर्ज करायेगा जो नगद रूप में पुरस्कार राशि प्राप्त करने के समय मिलान किया जायेगा।

vi. पुरस्कार राशि के भुगतान के समय सूचनादाता से रिसीप्ट पर उसी अंगुठे का निशान तथा विशेष प्रकार का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा। रिसीप्ट में संबंधित स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि तथा स्वीकृत राशि (अंक एवं शब्दों में) दर्ज किया जायेगा। प्रत्येक मामले में पुलिस उपाधिक्षक/पुलिस उपाधिक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा सूचना स्लीप में अंकित अंगुठे के निशान/विशेष प्रकार के हस्ताक्षर तथा राशि प्राप्ति से संबंधित रिसीप्ट पर अंकित अंगुठे के निशान/विशेष प्रकार के हस्ताक्षर का मिलान किया/कराया जायेगा। पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी या पुरस्कार स्वीकृति प्राधिकार द्वारा समय–समय पर Randomly कुछ मामलों से संबंधित सूचना स्लीप तथा हस्तलिखित रिसीप्ट में दर्ज निशानों का मिलान किया/कराया जायेगा।

vii. यदि सूचनादाता/मुखबिर बैंक खाता में पुरस्कार की राशि का भुगतान चाहता है तो सूचना देते समय भुगतान के लिये बैंक खाता के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक जानकारी सूचना स्लीप में दर्ज करेगा अथवा ई–मेल/ डाक अथवा Web portal में दर्ज करेगा अथवा दूरभाष से सूचना देते समय दर्ज करवायेगा।

viii. थाना अथवा संबंधित ड्रग कानून प्रवर्तन कार्यालय में मुखबिर/सूचनादाता से प्राप्त सूचना की सार तथा सूचना के आलोक में किये गये कार्रवाई तथा कार्रवाई के फलस्वरूप ड्रग्स की जप्ती की प्रविष्टि के लिए एक विशेष रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसे मुखबिर रजिस्टर कहा जायेगा। इसमें दर्ज प्रविष्टि से पुरस्कार की स्वीकृति के परिपक्व मामलों की जानकारी प्राप्त होगी तथा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी मामले में मुखबिर/सूचनादाता से प्राप्त सूचना के आधार पर ड्रग्स की जप्ती के बाद उसे पुरस्कार राशि देना छूट न जाए। पुलिस उपाधीक्षक तथा अन्य वरीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा थाना/कार्यालय की समीक्षा के क्रम में मुखबिर रजिस्टर के संधारण तथा प्रविष्टि की भी समीक्षा की जायेगी।

ix. संबंधित पदाधिकारी द्वारा मुखबिर/सूचनादाता से प्राप्त सूचना/पुरस्कार राशि भुगतान हेतु खाता संख्या आदि सीलबंद कर पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के पास में Vault/Safe में रखी जायेगी। सीलबंद पैकेट पर सूचना प्राप्त करने वाले संबंधित पदाधिकारी का नाम/पदनाम, कार्यालय का नाम तथा प्राप्त सूचना की तिथि, मुखबिर रजिस्टर में दर्ज क्रमांक तथा तिथि एवं सूचना के आलोक में किये गये कार्रवाई की तिथि अंकित किया जायेगा। पुरस्कार भुगतान करने समय मुखबिर/सूचनादाता के पहचान के

मिलान के लिए इसे संबंधित सरकारी सेवक द्वारा पुलिस उपाधिक्षक स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष खोला जायेगा तथा मिलान के बाद पुनः सीलबंद कर दिया जायेगा।

x. सूचना प्राप्त करने वाले प्राधिकार तथा अन्य सभी सरकारी सेवकों द्वारा सूचनादाता/मुखबिर की गोपनीयता बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. सूचनादाता/मुखबिर की जानकारी/गोपनीयता भंग होने की स्थिति में दोषी सरकारी सेवकों/दोषी व्यक्तियों की तुरंत पहचान कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

xii. सूचनादाता/मुखबिर की जानकारी Leak होने की स्थिति में उसपर संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक की होगी।

12. मुखबिर/सूचनादाता पर तस्करों/पेडलर द्वारा हमला करने/कराने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान–

i. मुखबिर/सूचनादाता द्वारा प्रदान किये गये पुष्ट सूचना, जिसके फलस्वरूप जप्ती हुई हो या सफल कार्रवाई हुई हो, के कारण यदि भविष्य में मुखबिर/सूचनादाता के जान की हानि होती है अथवा हमला होता है तो मुखबिर/सूचनादाता अथवा आश्रित को निम्नानुसार एकमुस्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायेगा–

स्थिति	अनुग्रह अनुदान
मृत्यु की स्थिति में।	20 (बीस) लाख रूपये।
स्थाई दिव्यांगता (100 प्रतिशत) की स्थिति में।	10 (दस) लाख रूपये।
40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की दिव्यांगता की स्थिति में।	5 (पाँच) लाख रूपये।
गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में (40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता हो या नहीं हो)।	3 (तीन) लाख रूपये।
समान्य रूप से घायल होने की स्थिति मे।	50 (पचास) हजार रूपये।

ii. उपरोक्त उपकंडिका में उल्लेखित राशि स्वीकृत करने से पहले घटना के संदर्भ में कांड दर्ज होना आवश्यक है तथा कांड के अनुसंधान से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाना चाहिए कि सूचनादाता/मुखबिर पर हमला उसके द्वारा दी गई सूचना, जिसके फलस्वरूप अवैध मादक पदार्थों की जप्ती सफलतापूर्वक हुई है अथवा सफल कार्रवाई हो सकी हो, के कारण हीं संबंधित तस्करों/गिरोह के द्वारा किया गया है अथवा कराया गया है।

iii. उक्त अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा गहन समीक्षा करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृति हेतु सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, सक्षम प्राधिकार होंगे।

13. सूचनादाता की सुविधा के अनुसार ड्रग्स की तस्करी अथवा अफीम की अवैध खेती की सूचना निम्न में से किसी भी कार्यालय/पदाधिकारी को दूरभाष/ई–मेल या लिखित रूप में दिया जा सकता है–

i. नजदीकी थाना/थानेदार/पुलिस निरीक्षक।

ii. पुलिस उपाधीक्षक।

iii. पुलिस अधीक्षक।
iv. अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी।
v. अनुमंडल पदाधिकारी।
vi. प्रखण्ड अथवा जिला के किसी अन्य पदाधिकारी।
vii. पुलिस उप–महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक।
viii. अपराध अनुसंधान विभाग।
ix. पुलिस मुख्यालय।
x. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

14. ड्रग्स की तस्करी अथवा अफीम की अवैध खेती के संदर्भ में प्राप्त सूचना पर कार्रवाई–

i. थाना अथवा पुलिस पदाधिकारी अथवा पुलिस से संबंधित किसी कार्यालय को प्राप्त सूचना पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई किया जायेगा/कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. जिला के किसी अन्य पदाधिकारी/कार्यालय को सूचना प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त सूचना अविलंब संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक को दूरभाष/ई–मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त सूचना के आलोक में ड्रग्स की जप्ती के संदर्भ में पुलिस पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

iii. उपरोक्त उपकंडिका (ii) के मामले में ड्रग्स की जप्ती/अफीम की खेती होने की स्थिति में सूचनादाता/मुखबीर को अनुमान्य पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय के माध्यम से सूचनादाता को किया जा सकता है अथवा यदि सूचनादाता द्वारा भुगतान हेतु कोई बैंक खाता दिया गया है तो सीधे बैंक खाता में भुगतान कर दिया जायेगा।

15. अन्य/विविध आवश्यक कार्रवाई–

i. ड्रग्स की तस्करी/पेडलिंग की सूचना आम आदमी से प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा तथा एक Website/Web-portal तैयार कराया जायेगा जिससे प्राप्त सूचना केवल उस पदाधिकारी द्वारा हीं Access किया जा सकता है जिस पदाधिकारी को सूचना संबोधित हो। Website/Web-portal पर सूचना देने वाले सूचनादाता की जानकारी गुप्त रखा जायेगा तथा Data Center से सूचना लीक न हो इसका विशेष व्यवस्था किया जायेगा।

ii. राज्य की किसी भी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी को अवैध ड्रग्स जप्त करने में प्राप्त सफलता के उपरांत इस नीति के तहत पुरस्कार स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अपराध अनुसंधान विभाग (ANTF) को मामले की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुशंसा सहित प्रेषित किया जायेगा। अपराध अनुसंधान विभाग (ANTF) को प्राप्त प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा पुरस्कार स्वीकृति के उपरांत राशि भुगतान हेतु राशि संबंधित एजेंसी को आवंटित किया जायेगा।

16. बजट शीर्ष–

i. पुरस्कार राशि के भुगतान हेतु मांग संख्या 22 अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2055– पुलिस, लघु शीर्ष– 101– आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता के अधीन आवश्यकतानुसार नया

उपशीर्ष सृजित कराकर समुचित इकाई में बजट उपबंध किया जायेगा। आवश्यकतानुसार राशि राज्य की विभिन्न ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी को आवंटित/उपावंटित किया जायेगा।

ii. मुखबिर/सूचनादाता को अथवा आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान मांग संख्या 22 अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष– 05– दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49–आर्थिक सहायता मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

17. भुगतान किये गये पुरस्कार राशि की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो/भारत सरकार से प्रतिपूर्ति:–

i. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ड्रग्स से संबंधित मामलों में सरकारी सेवकों तथा सूचनादाता/मुखबिर को पुरस्कार प्रदान करने हेतु Guidelines for grant of reward to informers and Government Servants, 2017 जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों/मुखबिरों/सूचनादाताओं को दिये गये पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। अतः पुरस्कार राशि भुगतान के उपरांत इस Guidelines के संगत मामलों में अनुमत अधिकतम पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जायेगा।

ii. प्रतिपूर्ति के कार्य हेतु पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग नोडल पदाधिकारी होंगे।

iii. राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर पर एक बैंक खाता संधारित किया जायेगा जिसमें प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

18. समय–समय पर अनुमान्य पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी किया जा सकेगा।

19. उक्त मामलों में यथावश्यक स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सन्निहित होगी।

20. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 1801, दिनांक 29.04.2026 के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 27.05.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या 04 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

(हस्ताक्षर) 4.6.26

(वंदना दादेल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – 18/विविध– 09/2025 –2460/ **दिनांक–**05/06/2026।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त संकल्प को राज्य सरकार के ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए।

(हस्ताक्षर) 4.6.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – 18/विविध– 09/2025 – 2460/ **दिनांक–** 05/06/2026।

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.6.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – 18/विविध– 09/2025 – 2460/ **दिनांक–** 05/06/2026।

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव/ विभागाध्यक्ष/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – 18/विविध– 09/2025 – 2460/ **दिनांक–** 05/06/2026।

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4.6.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – 18/विविध– 09/2025 – 2460/ **दिनांक–** 05/06/2026।

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, Narcotics Control Bureau, नई दिल्ली/Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Ranchi को सूचनार्थ प्रेषित।

4.6.26

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-I

Sl.	Commodity	Rate of maximum reward (in Rs.)	Prescribed Purity
1.	Opium	6,000/- per kg (20% of present illicit price)	Standard Opium
2.	Morphine base and its Salts	20,000/- per kg (20% of present illicit price)	90% or more of anhydrous morphine
3.	Heroin and its Salts (Including brown sugar)	1,20,000/- per kg (20% of present illicit price)	90% or more of diacetyl morphine
4.	Cocaine and its salts	2,40,000/- per kg (20% of present illicit price)	90% or more of anhydrous cocaine
5.	Hashish	2,000/- per kg (20% of present illicit price)	With THC content of 4% or more
6.	Hashish Oil	10,000/- per kg (20% of present illicit price)	With THC content of 20% or more
7.	Ganja	600/- per kg (20% of present illicit price)	Should be commercially acceptable as Ganja.
8.	Mandrax Tablets	2000/- per kg (20% of present illicit price)	Presence of Methaqualone
9.	Amphetamine, its salts and preparations thereof	20,000/- per kg (10% of present illicit price)	100% pure ATS with pro rata reduction for reduced purity
10.	Methamphetamine its salts and preparations thereof	20,000/- per kg (10% of present illicit price)	100% pure ATS with pro rata reduction for reduced purity
11.	Ecstasy or 3,4- Meththylene dioxy methamphetamine	15,000/1,000 tablets (10% of present illicit price)	Presence of MDMA
12.	Lysergic acid diethylamide (LSD)	30 Rs/ Blot (10% of present illicit price)	Presence of LSD
13.	Poppy Straw	Rs. 240 per Kg (20% of the present street price)	
14.	Destruction of Illicit Opium Poppy Crop	Rs. 10,000 per hectare	
15.	Destruction of Illicit Cannabis Poppy Crop	Rs. 10,000 per hectare	

नोट–

i. क्रमांक 1 से 13 तक उल्लेखित नशीले पदार्थों के Small Quantity से अधिक मात्रा Recover होने की स्थिति में सूचनादाता/मुखबीर को न्यूनतम 3,000.00 (तीन हजार) रूपये तथा सरकारी सेवक/सेवकों को न्यूनतम 3,000.00 (तीन हजार) रूपये का पुरस्कार अनुमान्य होगा। Small Quantity अथवा उससे कम मात्रा Recover होने की स्थिति में पुरस्कार अनुमान्य नहीं होगा।

(विभिन्न नशीले पदार्थों के मामले में Small Quantity का निर्धारण NDPS Act, 1985 के तहत राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।)

ii. क्रमांक 14 एवं 15 में उल्लेखित खेती 0.20 एकड़ (20 डिसमील) से अधिक होने की स्थिति में सूचनादाता/मुखबीर को न्यूनतम 3,000.00 (तीन हजार) रूपये तथा सरकारी सेवक/सेवकों को न्यूनतम 3,000.00 (तीन हजार) रूपये का पुरस्कार अनुमान्य होगा। इससे कम खेती की स्थिति में पुरस्कार अनुमान्य नहीं होगा।

iii. अधिकतम पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत सूचनादाता/मुखबीर को तथा 50 प्रतिशत सरकारी सेवक को अनुमान्य होगा।

iv. निर्धारित शुद्धता कम होने की स्थिति में अधिकतम पुरस्कार राशि अनुपतिक रूप से कम कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-II

Sl. No.	Commodity (Controlled/ psychotropic substances/ synthetic drugs)	Rate of Maximum reward	Prescribed purity
1.	Ephedrine, its salts and preparations thereof	Rs. 280/- per Kg	100%
2.	Pseudo-ephedrine, its salts and preparations thereof	Rs. 480/-per Kg	100%
3.	Acetic Anhydride	Rs. 10/- per liter	100%
4.	Ketamine, its salts and preparations thereof	Rs. 700/- per Kg	100%
5.	Anthranillic Acid	Rs. 45/- Per Kg	100%
6.	N-acetyl Anthranillic Acid	Rs. 80/- Per Kg	100%
7.	Diazepam and its preparations	Rs. 0.53/- per tablet of 5 mg	100%
8.	Alprazolam and its preparations	Rs. 0.20/- per tablet of 5 mg	100%
9.	Lorezepam and its preparations	Rs. 0.296/- per tablet of 5 mg	100%
10.	Alprax and its preparations	Rs. 0.52/- per tablet of 5 mg	100%
11.	Buprenorphine/Tidigesic and its preparations	Rs. 25,000/- per Kg	100%
12.	Dextropropoxyphene, its salts and preparations thereof	Rs. 2,880/- per Kg	100%
13.	Fortwin and its preparations	Rs. 1,044/- per vial of 30 mg	100%